कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

(शासकीय स्वशासी संस्था)

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

कार्यालय दूरभाष क्र. 07662-241655 **ई- मेल** deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स क्र. 07662-251167 **वेबसाईट** www.ssmcrewa.com

क्रमांक 2434/क्रय/एमसी/2022 **रीवा, दिनांक** 28-01-22

आदेश

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध चिकित्सालयों में वाहन स्टैण्ड व्यवस्था का ठेका पूर्व में प्राप्त एल 1 निविदाकार मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप एण्ड एजेंसी की निविदा को संबंधित निविदाकार द्वारा चिकित्सालय मे निर्धारित मापदण्डो के अधीन कार्य न किये जाने तथा प्रभारी अधिकारी, वाहन व्यवस्था द्वारा संबंधित के विरूद्व प्राप्त विभिन्न शिकायती अभ्यावेदनों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी स्तर से संबंधित निविदाकार के प्रचलित टेके की निरस्तगी की गई थी। संबंधित निविदाकार द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र क. (1) 4180/लेखा स्वशासी/एमसी/2021 रीवा दिनांक 01.03.2021 (2) पत्र क. 6663/लेखा–स्व/एमसी/2021 रीवा दिनांक 01.04.2021 (3) पत्र क. 11111/लेखास्वशासी/एमसी/2021 रीवा दिनांक 31.05.2021 (4) पत्र क. 14638/लेखा/स्वशासी/एमसी/2021/2021 रीवा दिनांक 12.07.2021 (5) पत्र क. 14642/लेखा–स्वशासी/एमसी/2021 रीवा दिनांक 12.07.2021 (6) पत्र क. 15872/क्रय स्वशासी/एमसी/2021 रीवा दिनांक 28.07.2021 (7) क्रमांक 16507/लेखा स्वशासी/एमसी/2021 रीवा दिनांक 04.08.2021 (8) 27128/विविध/एमसी/2021 रीवा दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी निदेर्शो/आदेशों/पत्राचारों के विरूद्ध यथोचित प्रत्युत्तर तथा निविदा के शर्तो के अनुरूप अनुमोदित अनुबंधित वार्षिक राशि को जमा न किये जाने के कारण तथा विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों से प्राप्त संबंधित निविदाकार के विरूद्ध विभिन्न अनैतिक खबरों से चिकित्सालय की छवि को प्रतिकूल प्रभाव पडा है, ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को चिकित्सालय में आगामी निविदा प्रक्रियाओं में सम्मिलित कराना, चिकित्सालय हित में उचित नहीं है । अतः उक्त परिपेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी वाहन व्यवस्था, तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर

मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप एण्ड एजेंसी को तथा उक्त के स्वामी श्रीमती सावित्री द्विवेदी पति श्री सुरेश द्विवेदी, बडी दरगाह के पास, अमहिया, जिला रीवा को चिकित्सालय अन्तर्गत प्रकाशित समस्त निविदाओं में सम्मिलित होने हेतु आगामी 3 वर्षो के लिये काली सूची (Blacklist) में डाला जाता है साथ ही इस संस्था से संबंधित किसी भी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार अवधि के लिये अधोहस्ताक्षरी तथा संबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु निषेध किया जाता है ।

(डॉ. मनोज इन्दुरकर)
अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

पृक्र. 2434-40 क्रय/एमसी/2022 रीवा, दिनांक 28-01-22

प्रतिलिपिः-

1- आयुक्त रीवा संभाग रीवा ।
2- कलेक्टर रीवा जिला रीवा ।
3- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा ।
4- अधीक्षक सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक रीवा ।
5- उप संचालक, जनसपर्क, रीवा की ओर समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
6- प्रभारी अधिकारी, वाहन व्यवस्था, एसजीएमएच रीवा ।

अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा